"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल 2015—चैत्र 27, शक 1937

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2015

क्रमांक एफ 7-25/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमरनाथ प्रसाद, वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कांकेर को दिनांक 04-04-2015 से 10-04-2015 तक कुल 07 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02-03 अप्रैल तथा दिनांक 11-12 अप्रैल 2015 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रसाद, वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कांकेर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रसाद को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसाद अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10–2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना" होगा.

1.2 परिवार की दो संतानों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए पंजीकृत सफाई कर्मकारों की ऐसी समस्त पुत्र/पुत्री जिन्होंने निम्न लिखित परीक्षाओं में से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हों अथवा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो.

1.3 प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एक मुश्त देय होगी :—

क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
i	कक्षा 1 से 5 तक	1,000	1,500
ii	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	1,500	2,000
iii	9वीं से 12वीं	2,000	3,000
iv	स्नातक कक्षा जैसे बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम/डिप्लोमा आदि	5,000	6,000
v	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम. ए./एम. एस. सी./एम. कॉम./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि.	7,000	8,000
vi	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर	10,000	11,000
vii	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी.एच.डी. या शोध कार्य करने पर.	14,000	15,000

1.4 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना हेतु पात्रता :—**

2.1 पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्ययनरत दो पुत्र/पुत्रियों को उपरोक्त तालिका अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी.

2.2 यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी.

2.3 ऐसा छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नहीं उठा सकता है.

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—** योजना के अंतर्गत सफाई कर्मकारों के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय के संस्था प्रमुख/प्राचार्य से सत्यापन कर प्रस्तुत करेगा.

4. **भुगतान की प्रक्रिया :—**संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र छात्रों के उनके स्वयं के खाते में अथवा उनके माता-पिता के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा.

5. **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना" होगा.

1.2 कक्षा 10वीं एवं उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत् पुत्र/पुत्री (दो संतानों) को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सी.ए. एवं एम.बी.ए. अथवा अन्य व्यवसायिक शिक्षा में प्रवेश हेतु विशेष कोचिंग हेतु लगने वाला शुल्क मंडल द्वारा देय होगा.

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना हेतु पात्रता :—**

2.1 योजना के अंतर्गत पंजीकृत सफाई कर्मकारों के पुत्र/पुत्री को लाभ की पात्रता होगी.

2.2 ऐसा छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक विभाग/संस्था के योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो विभागों/संस्थानों के योजनाओं का एक साथ लाभ नहीं उठा सकता है.

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—** योजना के अंतर्गत सफाई कर्मकारों के पुत्र/पुत्रियों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

4. **स्वीकृति का अधिकार :—** पात्रता की जांच उपरांत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा.

5. **भुगतान की प्रक्रिया :—**जिले में पदस्थ सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा छात्र-छात्रा के स्वयं के खाते में अथवा उनके माता-पिता के खाते में राशि जमा किया जावेगा.

6. **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10–2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना" होगा.

1.2 पंजीकृत सफाई कर्मकार अथवा उनके परिवार के सदस्य को स्वास्थ्य परीक्षण सहायता राशि रुपये 2,000/– तक चिकित्सा सहायता दवाई क्रय हेतु वर्ष में प्रदाय की जावेगी.

1.3 उक्त भुगतान शासकीय चिकित्सालय/औषधालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित देयक पर (ऐसे देयक उन्हीं दवाओं के लिए होंगे जो शासकीय चिकित्सालय/औषधालय में उपलब्ध नहीं हो) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा अधिकृत समस्त चिकित्सालयों के देयकों पर सफाई कर्मकारों के बाह्य रोगी चिकित्सा के तहत् स्वास्थ्य परीक्षण हेतु भुगतान किया जावेगा.

1.4 परिवार के सदस्य से तात्पर्य पति, पत्नी, पुत्र–पुत्री (पुत्र जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो एवं अविवाहित पुत्री).

1.5 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना हेतु पात्रता :—**

2.1 18 से 60 वर्ष के सफाई कर्मकार एवं उनके परिवार के सदस्य (पति, पत्नी, पुत्र एवं पुत्री) जिनका उल्लेख पंजीयन कार्ड में है, इस योजना के लिए पात्र होंगे. योजना का लाभ दो संतान तक ही मिलेगा.

2.2 योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

3.1 सफाई कर्मकार की चिकित्सा सहायता हेतु आवेदन स्वत: द्वारा हस्ताक्षरित संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

3.2 आवेदन पत्र की जांच करने पर सही पाये जाने की स्थिति में संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुशंसा कर अनुग्रह राशि आवेदक के खाते में जमा करेगा.

4. **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10–2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना" होगा.

1.2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत सफाई कर्मकार के पुत्र-पुत्री (दो संतान तक) को यदि वे शाला/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् है तथा यदि उन्हें शिक्षा विभाग के सायकल सहायता योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, को सायकल सहायता प्रदाय किया जावेगा.

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना हेतु पात्रता :—**

2.1 यह योजना सफाई कर्मकार जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो के पुत्र-पुत्री (दो संतान तक) को प्रदाय किया जावेगा.

2.2 योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

3.1 आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

3.2 आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

3.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

4. **योजना का लाभ प्रदाय करने की प्रक्रिया :—** संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा प्रकरण स्वीकृति उपरांत सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित दर अनुसार साईकिल के मूल्य का भुगतान आवेदक के खाते में जमा कराया जायेगा.

5. **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना" होगा.

1.2 योजना के अंतर्गत महिला कर्मकार को गर्भधारण के प्रथम तिमाही (तीसरे माह में) रुपये 4,200/- एवं तृतीय तिमाही (आठवें माह में) रुपये 2,800/- प्रसूति लाभ एवं दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश के एवज में रुपये 3,000/- की सहायता पुरुष कर्मकार को बच्चे के जन्म के बाद देय होगी.

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

1.4 प्रसूति सहायता योजना अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगी.

1.5 प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति सहायता योजना एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों पति (पूर्ण राशि) पुत्र/पुत्री एक से अधिक उत्तराधिकारी होने पर बराबर भाग में तथा उपरोक्त उत्तरजीवी न होने पर वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा.

1.6 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना हेतु पात्रता :—**

2.1 सफाई कर्मकार चाहे पुरुष हो या स्त्री, पति या पत्नि में से कोई भी सफाई कर्मकार के रूप में पंजीयन है तो उसे योजना का लाभ प्राप्त होगा.

2.2 किन्तु सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में नियमित रूप से कार्य कर रहे सफाई कर्मकारों की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ मंडल द्वारा नहीं दिया जावेगा.

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

3.1 निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

3.2 आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

3.3 आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

4. **लाभ प्रदाय करने की प्रक्रिया :—** आवेदक के आवेदन के जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदक के खाते में निर्धारित राशि जमा किया जावेगा.

5. **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

सफाई कर्मकार विवाह योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार विवाह योजना" होगा.

1.2 योजना के अंतर्गत रुपये 15,000/- प्रति विवाह सहायता देय होगी.

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना हेतु पात्रता :—**

2.1 यह योजना महिला सफाई कर्मकार के स्वयं के विवाह अथवा सफाई कर्मकार हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिए लागू होगी.

2.2 पंजीबद्ध महिला कर्मकार के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध कर्मकार की दो पुत्रियों की सीमा तक लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी.

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

3.1 आवेदिका/आवेदक को विवाह के प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व आवेदन करना होगा.

3.2 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदिका महिला कर्मकार के स्वयं अथवा सफाई कर्मकार की पुत्री के स्वयं का होना चाहिए.

3.3 महिला कर्मकार स्वयं आवेदिका होने पर स्वयं का अथवा आवेदिका हिताधिकारी की पुत्री होने पर पिता/माता के परिचय पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित करना होगा.

3.4 निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

4. **लाभ प्रदाय करने की प्रक्रिया :—** आवेदक के आवेदन के जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक के खाते में जमा करेगा.

5. **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10–2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**

1.1 योजना का नाम "सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना" होगा.

1.2 योजना के अंतर्गत असंगठित कर्मकारों सफाई कर्मकारों को समय–समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग (CSSDA) द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मण्डल द्वारा पंजीकृत कर्मकारों एवं उनके परिवार को प्रशिक्षण दिया जावेगा.

1.3 योजना के प्रावधान अनुरूप प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी.

1.4 परिवार के तात्पर्य पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री (समस्त संतान)

1.5 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना का स्वरूप :—**

2.1 पंजीकृत सफाई कर्मकार के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण.

2.2 पंजीकृत सफाई कर्मकार के परिवार के सदस्यों को उनके योग्यता एवं सूची अनुसार प्रशिक्षण दिया जावेगा.

2.3 सफाई कर्मकार यदि स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो मंडल द्वारा श्रम विभाग द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से प्रतिदिन हेतु मानदेय प्रदाय किया जावेगा.

3. **योजना हेतु पात्रता :—**

3.1 योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सफाई कर्मकारों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा.

3.2 यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

3.3 योजना हेतु आयु सीमा 18 से ऊपर होनी चाहिए.

4. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

4.1 आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा.

4.2 आवेदन में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

4.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

5. **लाभ प्रदाय करने की प्रक्रिया :—**

5.1 संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदकों को सी.एस.एस.डी.ए. द्वारा पंजीकृत व्ही.टी.पी. के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाय करवायेगा.

5.2 पंजीकृत व्ही.टी.पी. को शासन द्वारा निर्धारित दर से भुगतान करेगा.

5.3 प्रशिक्षण परिणाम उपरांत आवेदकों को मानदेय उनकी उपस्थिति के आधार पर उनके खाते में राशि जमा किया जावेगा.

6. **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**

1.1 योजना का नाम "ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना" होगा.

1.2 परिवार की दो संतानों की सीमा के अध्याधीन रहते हुए पंजीकृत कर्मकारों की ऐसी समस्त पुत्र/पुत्री जिन्होंने निम्न लिखित परीक्षाओं में से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हों अथवा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो.

1.3 प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित "छात्रवृत्ति" राशि एक मुश्त देय होगी :—

क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक छात्रवृत्ति राशि	
		छात्र	छात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कक्षा 1 से 5 तक	500	750
2.	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	750	1,000
3.	9वीं से 12वीं	1,000	1,500
4.	स्नातक कक्षा जैसे बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम/डिप्लोमा आदि	1,500	2,000
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे एम. ए./एम. एस. सी./एम. कॉम./ स्नातकोत्तर डिप्लोमा आदि.	2,500	3,000
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने पर	3,000	4,000
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययन, पी.एच.डी. या शोध कार्य करने पर.	4,000	5,000

1.4 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना हेतु पात्रता :—**

2.1 पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिकों के अध्ययनरत दो पुत्र/पुत्रियों को उपरोक्त तालिका अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी.

2.2 यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी.

2.3 ऐसा छात्र/छात्रा यदि अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नहीं उठा सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**

1.1 योजना का नाम "ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना" होगा.

1.2 पंजीकृत ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण सहायता राशि रुपये 2,000/- तक चिकित्सा सहायता दवाई की खरीदी हेतु वर्ष में प्रदाय की जावेगी.

1.3 उक्त भुगतान शासकीय चिकित्सालय/औषधालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित देयक पर (ऐसे देयक उन्हीं दवाओं के लिए होंगे जो शासकीय चिकित्सालय/औषधालय में उपलब्ध नहीं हो) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा अधिकृत समस्त चिकित्सालयों के देयकों पर ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिकों के बाह्य रोगी स्वास्थ्य परीक्षण हेतु भुगतान किया जावेगा.

1.4 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना हेतु पात्रता :—**

2.1 18 से 60 वर्ष के ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे.

2.2 योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

3.1 ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता हेतु स्वतः द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

3.2 आवेदन पत्र की जांच करने पर सही पाये जाने की स्थिति में संबंधित श्रम कार्यालय द्वारा अनुशंसा कर अनुग्रह राशि आवेदक के खाते में जमा करेगा.

4. **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**
   - 1.1 योजना का नाम "घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना" होगा.
   - 1.2 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना हेतु पात्रता :—**
   - 2.1 यह योजना महिला कामगार जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो को प्रदाय किया जावेगा.
   - 2.2 योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
   - 2.3 योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 60 वर्ष वाले हितग्राही पात्र होंगे.

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**
   - 3.1 आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.
   - 3.2 आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.
   - 3.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

4. **भुगतान की प्रक्रिया :—**
   - 4.1 संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के स्वयं के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा.
   - 4.2 सायकल हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित दर एवं छतरी, चप्पल/जूता हेतु रुपये 500/- प्रति हितग्राही देय होगा.

5. **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**
   - 1.1 योजना का नाम "ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना" होगा.
   - 1.2 योजना के अंतर्गत महिला कर्मकार को गर्भधारण के प्रथम तिमाही (तीसरे माह में) रुपये 4,200/- एवं तृतीय तिमाही (आठवें माह में) रुपये 2,800/- प्रसूति लाभ एवं दो सप्ताह के पितृत्व अवकाश के एवज में रुपये 3,000/- की सहायता पुरुष कर्मकार को बच्चे के जन्म के पश्चात् देय होगी.

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

1.4 प्रसूति सहायता योजना अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगी.

1.5 प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति सहायता योजना एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों पति (पूर्ण राशि) पुत्र/पुत्री एक से अधिक होने पर उत्तराधिकारियों को बराबर भाग में तथा उपरोक्त उत्तरजीवी न होने पर वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा.

2. **योजना हेतु पात्रता :—**

2.1 ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक चाहे पुरुष हो या स्त्री, पति या पत्नि में से कोई भी ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के रूप में पंजीयन है तो उसे योजना का लाभ प्राप्त होगा.

2.2 किन्तु सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में नियमित रूप से कार्य कर रहे ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिकों अथवा उनकी पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ मंडल द्वारा नहीं दिया जावेगा.

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

3.1 निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

3.2 आवेदिका/आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

3.3 आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

4. **भुगतान की प्रक्रिया :—**

4.1 संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के स्वयं के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा.

5. **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**

1.1 योजना का नाम "ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना" होगा.

1.2 योजना के अंतर्गत रुपये 15,000/- प्रति विवाह सहायता देय होगी.

1.3 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

2. **योजना हेतु पात्रता :—**

2.1 यह योजना महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक के स्वयं के विवाह अथवा ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिए लागू होगी.

2.2 पंजीबद्ध महिला कर्मकार के स्वयं के विवाह अथवा एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध कर्मकार की दो पुत्रियों की सीमा तक लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी.

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

3.1 आवेदिका/आवेदक को विवाह के प्रस्तावित तिथि के एक माह पूर्व आवेदन करना होगा.

3.2 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर आवेदिका महिला कर्मकार के स्वयं अथवा ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक के स्वयं का होना चाहिए.

3.3 महिला कर्मकार स्वयं आवेदिका होने पर स्वयं का अथवा आवेदिका हिताधिकारी की पुत्री होने पर पिता/माता के परिचय पत्र का पंजीयन क्रमांक अंकित करना होगा.

3.4 निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

4. **भुगतान की प्रक्रिया :—** संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के स्वयं के खाते में अथवा हिताधिकारी की पुत्री होने पर पिता/माता के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा.

5. **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**

1.1 योजना का नाम "महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना" होगा.

1.2 योजना के अंतर्गत घरेलू महिला कामगार को छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मण्डल द्वारा पंजीकृत घरेलू महिला कर्मकारों को प्रशिक्षण देय होगा.

1.3 घरेलू महिला कामगार के परिवार के सदस्यों तथा ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक के परिवार के सदस्यों को समय-समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग (CSSDA) द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण दिया जावेगा.

1.4 योजना के प्रावधान अनुरूप प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्लपमेंट अथॉरिटी द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी.

1.5 परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री (दो संतान तक)

1.6 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना का स्वरूप :—**

2.1 पंजीकृत घरेलू महिला कामगार के कौशल उन्नयन हेतु निम्नांकित प्रशिक्षण देय होगा :—

(i) ब्यूटीशियन (Beautician)
(ii) न्यूट्रीशियन (Nutricion)
(iii) डायटीशियन (Dietition)
(iv) कुकिंग (Cooking)
(v) हास्पीटलिटी (Hospitility)
(vi) हाउस होल्ड (बड़ी, पापड़, आचार आदि बनाना) (Household)
(vii) नर्सिंग (Nursing)
(viii) टेलरिंग (Tailoring)

2.2 ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक तथा घरेलू महिला कामगार के परिवार के सदस्यों को छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्लपमेंट अथॉरिटी द्वारा निर्धारित ट्रेड में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण.

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

3.1 योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु घरेलू महिला कामगार, ठेका श्रमिक, हमाल का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा.

3.2 यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

3.3 योजना हेतु आयु सीमा 18 से ऊपर होनी चाहिए.

4. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

4.1 आवेदिका/आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा.

4.2 आवेदन में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

4.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

5. **योजना हेतु व्यय :—** प्रशिक्षण के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा वहन किया जावेगा.

6. **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2015

क्रमांक एफ 10-2/2015/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना :—

1. **योजना का प्रावधान :—**

1.1 योजना का नाम "हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना" होगा.

1.2 योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **योजना हेतु पात्रता :—**

2.1 प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत असंगठित हमाल कर्मकार को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा.

2.2 योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

2.3 योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 60 वर्ष वाले हितग्राही पात्र होंगे.

3. **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

3.1 आवेदक/आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

3.2 आवेदन में असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

3.3 आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

4. **भुगतान की प्रक्रिया :—**

4.1 संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि पात्र हितग्राहियों के स्वयं के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा.

4.2 हमाल हेतु जूता, बोरा उठाने का हुक एवं महिला हमालों के लिए सूपा और टोकरी हेतु रुपये 500/- प्रति हितग्राही देय होगा.

5. **विसंगति का निराकरण :—** योजना में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2015

क्रमांक एफ 7-13/2014/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 16-5-2014 द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

नया रायपुर विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रिको, सेक्टर-07	130 (भाग), 207 (भाग), 208 (भाग), 209 (भाग), 210 (भाग), 211 (भाग) एवं 216 (भाग)	2.19	आमोद-प्रमोद	आवासीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	चिचा, सेक्टर-07	17 (भाग), 18, 19, 20, 21, 22 (भाग), 23 (भाग), 24 (भाग), 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (भाग), 33 (भाग), 34 (भाग), 35 (भाग), 42 (भाग), 43 (भाग), 133 (भाग), 148 (भाग), 149 (भाग), 150 (भाग), 160 (भाग), 162 (भाग), 163 (भाग), 164, 165, 166 (भाग), 172 (भाग), 173 (भाग), 352 (भाग), 353 (भाग), 354 (भाग), 355 (भाग) एवं 358 (भाग).	13.01	आमोद-प्रमोद	आवासीय
3.	बरौदा सेक्टर-07	1392 (भाग), 1503 (भाग)	0.89	आमोद-प्रमोद	आवासीय
4.	बरोदा, सेक्टर-15	1432 (भाग), 1439 (भाग), 1500 (भाग), 1517 (भाग), 1524 (भाग), 1526 (भाग), 1527, 1528, 1529 (भाग), 1530 (भाग), 1531 (भाग), 1532 (भाग), 1533 (भाग), 1534 (भाग), 1506 (भाग), 1625 (भाग), 1626 (भाग), 1627 (भाग), 1628 (भाग), 1764 (भाग), 1765 (भाग), 1766 (भाग), 1767 (भाग), 1788 (भाग), 1769 (भाग), 1770, 1771 (भाग), 1772 (भाग) 1793 (भाग), 1794 (भाग), 1795 (भाग), 1805 (भाग), 1806 (भाग), 1811 (भाग), 1812 (भाग), 1813 (भाग) एवं 1815 (भाग).	11.78	आमोद प्रमोद	आवासीय
5.	बरोदा सेक्टर-21	1960 (भाग), 1961 (भाग), 1962 (भाग,) 1963, 1964 (भाग), 1965 (भाग), 1966 (भाग), 1967 (भाग), 1970 (भाग), 1959 (भाग), 1958 (भाग), 1957 (भाग), 1956 (भाग), 1955 (भाग), 1950 (भाग), 1949 (भाग), 1948 (भाग), 1947 (भाग), 1946 (भाग), 1940 (भाग), 1939 (भाग), 1938 (भाग), 1937 (भाग), 1936 (भाग), 1935 (भाग), 1934 (भाग), 1933 (भाग), 1932 (भाग), 1931 (भाग), 1930 (भाग), 1924 (भाग), 1923 (भाग), 1922 (भाग), 1921 (भाग), 1916 (भाग), 1915 (भाग).	7.13	आमोद-प्रमोद	आवासीय
6.	तूता सेक्टर-21	305/5, 305/6 (भाग), 278 (भाग), 280 (भाग)	0.66	आमोद प्रमोद	आवासीय
7.	राखी सेक्टर-25	390 (भाग), 429 (भाग), 461 (भाग), 462 (भाग), 463 (भाग), 464 (भाग), 465 (भाग), 466 (भाग), 468 (भाग), 469 (भाग), 470 (भाग), 471 (भाग), 472 (भाग), 473 (भाग), 475 (भाग), 476 (भाग), 477 (भाग), 482 (भाग), 452 (भाग), 453 (भाग), 454 (भाग), 455 (भाग), 456 (भाग), 457 (भाग), 458 (भाग), 459 (भाग), 460 (भाग).	23.35	आमोद प्रमोद	आवासीय
8.	झाझ सेक्टर-25	101 (भाग), 247 (भाग), 248 (भाग), 249 (भाग), 250 (भाग), 251 (भाग), 269(भाग), 270 (भाग), 271 (भाग), 272(भाग), 273(भाग), 279(भाग), 313/374 (भाग), 327 (भाग), 330 (भाग), 331 (भाग), 332 (भाग), 333 (भाग), 334 (भाग), 335 (भाग), 336, 337, 338, 339/377, 340, 341 (भाग), 342 (भाग), 343, 344 (भाग), 345 (भाग).	11.41	आमोद प्रमोद	आवासीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	झाझ सेक्टर-28	302 (भाग), 303 (भाग), 304, 305, 306, 307 (भाग), 308 (भाग), 309 (भाग), 334 (भाग), 354 (भाग), 357 (भाग), 364 (भाग).	1.09	आमोद प्रमोद	आवासीय
10.	नवागांव सेक्टर-28	99 (भाग), 101 (भाग), 113 (भाग), 114 (भाग), 117 (भाग), 118 (भाग), 119, 120, 121, 122, 123 (भाग), 124 (भाग), 125 (भाग), 126 (भाग), 127 (भाग), 181 (भाग), 413 (भाग), 414 (भाग), 415 (भाग), 417(भाग), 418 (भाग), 420 (भाग), 423 (भाग), 424 (भाग), 425 (भाग), 428 (भाग).	9.66	आमोद प्रमोद	आवासीय

2. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विचारोपरांत राज्य शासन एतद्द्वारा नया रायपुर विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण नया रायपुर विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन श्री अंकित आनंद (भारतीय प्रशासनिक सेवा) को संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त करता है.

2. श्री सुबोध कुमार सिंह (भारतीय प्रशासनिक सेवा), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को अंतर्नियम की कंडिका 77 (iv) के अंतर्गत इस कंपनी के प्रबंध संचालक एवं संचालक के पद से पदमुक्त किया जाता है.

3. श्री अंकित आनंद (भाप्रसे), उपरोक्त कंपनी के संचालक, को अंतर्नियम की कंडिका 78 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन आगामी आदेश तक उपरोक्त विद्युत कंपनी का प्रबंध संचालक नियुक्त करता है.

4. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एस. गुर्जर, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/257/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	परसुलीडीह	331	0.210	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर.	परसुलीडीह एनीकट निर्माण हेतु.
			332	0.130		
			333	0.050		
			334	0.020		
			335	0.020		
			354	0.120		
			336	0.030		
			359	0.090		
			337	0.080		
			338	0.140		
			339	0.130		
			360	0.200		
			358	0.380		
			353	0.530		
			352	0.210		
		योग	**15**	**2.340**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/258/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	तर्री प.ह.नं. 47	655	0.150	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर.	गोबरा नवापारा बाढ़ नियंत्रण तटबंध के निर्माण हेतु.
			656/1	0.040		
			656/2	0.040		
			657	0.200		
			658	0.020		
		योग	**5**	**0.450**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/259/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	डूमरतराई	308	1.073	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर.	डूमरतराई थोक बाजार के विस्तार योजना हेतु.
		योग	**1**	**1.073**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/270/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	धनुसली प.ह.नं. 38	282/6	0.231	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर.	रायखेड़ा मुर्रा माठ खरोरा मार्ग निर्माण.
		योग	**1**	**0.231**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/271/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	खम्हरिया	214	0.050	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर.	छतौना-दरबा-कुटेसरा-बड़गांव-नारा-लखौली मार्ग चौड़ीकरण हेतु.
			218	0.060		
			223	0.010		
			226	0.010		
			406	0.020		
			487	0.120		
		योग	**6**	**0.270**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/272/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	कुकरा प.ह.नं. 24	3/1	0.030	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर.	ग्राम छतौना, दरबा, कुटेसर, बड़गांव, कुण्डा, नारा, लखौली मार्ग चौड़ीकरण.
			3/2	0.020		
			22	0.030		
		योग	**3**	**0.080**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/273/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	रीवां प.ह.नं. 24	529/5	0.008	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर.	ग्राम छतौना, दरबा, कुटेसर, बड़गांव, कुण्डा, नारा, लखौली मार्ग चौड़ीकरण.
			529/4	0.016		
			529/7	0.008		
			526/1	0.057		
			506/1	0.044		
			527/1	0.005		
			527/6	0.004		
			527/2	0.005		
		योग	**8**	**0.147**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/274/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	खमतराई प.ह.नं. 32	128	0.010	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर.	ग्राम आरंग - कलई - खमतराई - भोथली अकोलीकला गुखेरा मार्ग चौड़ीकरण.
			48	0.020		
			23/2	0.002		
			358	0.040		
			271	0.001		
			130	0.005		
			129	0.010		
		योग	**7**	**0.088**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/275/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	बगदेही प.ह.नं. 46	296/1	0.020	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर.	गोबरा नवापारा बाढ़ नियंत्रण तटबंध के निर्माण हेतु.
			296/2	0.020		
			296/3	0.030		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			298	0.040		
			448	0.028		
			299	0.031		
			300	0.032		
			420	0.032		
			431	0.024		
			432	0.020		
			464	0.020		
			466	0.024		
			486	0.041		
			487	0.040		
			491/1	0.012		
			491/2	0.012		
			297/2	0.014		
			297/1	0.014		
			418	0.045		
			421/2	0.020		
			424	0.004		
			373	0.012		
			416	0.020		
			417	0.016		
			465	0.020		
			419	0.024		
			425	0.028		
			430	0.061		
			429/2	0.004		
			429/3	0.004		
			414	0.006		
			463	0.040		
			433	0.032		
			434	0.028		
			435/1	0.016		
			435/2	0.016		
			438	0.090		
			441	0.012		
			442	0.043		
			445/4	0.010		
			444	0.016		
			443/1	0.010		
			443/2	0.010		
			451	0.016		
			447	0.016		
			449	0.008		
			450	0.016		
			458	0.049		
			462	0.036		
			459	0.012		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			461	0.040		
			481/1	0.012		
			481/2	0.012		
			492	0.020		
			488	0.033		
			490	0.032		
			489	0.026		
			494	0.024		
			495	0.035		
		योग	**42**	**1.419**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/276/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	गुदगुदा प.ह.नं. 56	408	0.02	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर (छ.ग.)	समोदा बैराज परियोजना के निर्माण में डुबान में आई भूमि का अर्जन.
			429/2	0.04		
			432	0.08		
			434	0.20		
		योग	**4**	**0.34**		

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्रमांक/277/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	गुल्लु प.ह.नं. 53	2434	0.08	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर (छ.ग.)	समोदा बैराज परियोजना के निर्माण में डुबान में आई भूमि का अर्जन.
			2428	0.01		
			2432/1	0.06		
			2432/3	0.06		
			2998	0.03		
			2435/2	0.10		
			2448	0.08		
			2438	0.05		
			2447	0.05		
			2997/2	0.03		
			2425	0.01		
			2426	0.01		
			2432/2	0.04		
			2433	0.05		
			2999	0.03		
			2996	0.06		
			2444/1	0.03		
			2444/2	0.02		
			2446	0.16		
		योग	**19**	**0.96**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, शंकर नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्रमांक एफ 4-47/2006/32.—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम 1972 की धारा 103 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए मण्डल राज्य शासन के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त विनियम में :—

1. नियम 8 (च) में (परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट) को विलोपित किया जाता है.

2. यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 4-47/2006/32.—छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम की धारा 17 तथा धारा 103 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए मण्डल राज्य शासन के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

1. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 20 सम्पदा प्रबंधक/शाखा अधिकारी एवं सरल क्रमांक 26 लेखापाल में खाना क्रमांक 4 एवं 5 की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित किया जाता है.

भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
चयन द्वारा सीधी भर्ती (4)	सेवा के स्थान पर मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (5)
50 प्रतिशत	50 प्रतिशत

2. अनुसूची-तीन में वर्तमान प्रविष्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाती है.

क्र. (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हताएं (5)	टिप्पणी (6)
1.	संपदा प्रबंधक/ शाखा अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	बी.कॉम/एम.बी.ए. (वित्त)	-
2.	लेखापाल	18 वर्ष	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	बी. कॉम	-

3. यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जावे.

संजय शुक्ला,
आयुक्त.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6374.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2010-11/7875-76 रायपुर, दिनांक 28-02-2011 द्वारा श्री राजेश कुमार भारती वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को कृषि उपज मंडी समिति कुसमी जिला-बलरामपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक 4866, दिनांक 23-12-2014 द्वारा श्री युवराज कुर्रे तहसीलदार राजपुर अतिरिक्त प्रभार तहसीलदार कुसमी को कृषि उपज मंडी समिति कुसमी के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री राजेश कुमार भारती वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री युवराज कुर्रे तहसीलदार राजपुर अतिरिक्त प्रभार तहसील कुसमी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कुसमी, जिला-बलरामपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6584.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2014-15/33 रायपुर, दिनांक 25-09-2014 द्वारा श्री एल. आर. कन्थाले वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिलाईगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति भटगांव जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा का पत्र ज्ञापन क्रमांक/107/मंडी/भा.अ.नि./दिनांक 19-02-2015 द्वारा श्री टी. आर. भारद्वाज, नायब तहसीलदार (राजस्व) बिलाईगढ़ को कृषि उपज मंडी समिति भटगांव के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एल. आर. कन्थाले, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिलाईगढ़ का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री टी. आर. भारद्वाज, नायब तहसीलदार (राजस्व) बिलाईगढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति भटगांव, जिला-बलौदाबाजार-भटगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6586.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2010-11/7574 रायपुर, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री के. एस. दीवान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी फिंगेश्वर को कृषि उपज मंडी समिति राजिम जिला-गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन) गरियाबंद जिला गरियाबंद का पत्र क्रमांक/मंडी/भा.अ./14-15/27/दिनांक 20-02-2015 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति राजिम में भारसाधक अधिकारी का आकस्मिक निधन होने के कारण उनके स्थान पर श्री जी.एस. नाग तहसीलदार राजिम के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री के. एस. दीवान, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी फिंगेश्वर का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री जी. एस. नाग, तहसीलदार राजिम को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति राजिम, जिला-गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6862.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2013-14/5835 रायपुर, दिनांक 17-12-2013 द्वारा श्री प्रमोद शांडिल्य अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोरमी को कृषि उपज मंडी समिति लोरमी, जिला-मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला मुंगेली का पत्र क्रमांक/भार.साध./2014-15/424 दिनांक 02-02-2015 द्वारा श्री सीताराम नेताम वरिष्ठ विकास अधिकारी लोरमी को कृषि उपज मंडी समिति लोरमी के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री प्रमोद शांडिल्य अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लोरमी का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री सीताराम नेताम वरिष्ठ विकास अधिकारी लोरमी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति लोरमी जिला मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6951.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2014-15/6389 रायपुर, दिनांक 13-02-2015 द्वारा श्री प्रदीप कुमार मिश्रा अपर कलेक्टर जिला कार्यालय, धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी, जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर धमतरी का पत्र ज्ञापन क्रमांक/2788/वित्त-1/न.क. 166/2015 दिनांक 07-03-2015 द्वारा श्री दुष्यन्त कुमार रायस्त, डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन) जिला कार्यालय, धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री प्रदीप कुमार मिश्रा अपर कलेक्टर जिला कार्यालय, धमतरी का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री दुष्यन्त कुमार रायस्त, डिप्टी कलेक्टर, (परिवीक्षाधीन) जिला कार्यालय धमतरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति धमतरी, जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/6953.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2010-11/7715 रायपुर, दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री एफ. आर. कश्यप सहायक संचालक कृषि सरायपाली को कृषि उपज मंडी समिति बसना, जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर महासमुन्द का ज्ञापन क्रमांक/159/अ.अ.ऊ.शा./2014-15 दिनांक 28-02-2015 द्वारा श्री यू. एस. तोमर अनुविभागीय कृषि अधिकारी सरायपाली को कृषि उपज मंडी समिति बसना का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एफ. आर. कश्यप सहायक संचालक कृषि सरायपाली का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री यू. एस. तोमर अनुविभागीय कृषि अधिकारी सरायपाली को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बसना जिला महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/7353.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2013-14/4450-51 रायपुर, दिनांक 01-10-2013 द्वारा श्री सुखलाल अहिरवार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कृषि उपज मंडी समिति कोन्टा, जिला-सुकमा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर सुकमा का ज्ञापन क्रमांक/3483/वरि.लि./न.क.-39/2015 दिनांक 16-03-2015 द्वारा श्री रामेश्वर सिंह सिरदार, डिप्टी कलेक्टर जिला सुकमा को कृषि उपज मंडल समिति कोन्टा को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सुखलाल अहिरवार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री रामेश्वर सिंह सिरदार, डिप्टी कलेक्टर जिला सुकमा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कोन्टा जिला सुकमा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

सी. आर. प्रसन्ना,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2015

क्रमांक 1513/ई.एल.यू./न.ग्रा.नि./2015.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में बिलासपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये 62 अतिरिक्त ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंध मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 7737 बिलासपुर दिनांक 19-11-2014 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बिलासपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 62 अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

बिलासपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर : ग्राम काठाकोनी, बिनौरी, पेण्डारी, परसदा, जोंकी, निरतू, सेन्दरी, कछार, रमतला, सेमरताल, बैमा एवं हरदीडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व : ग्राम हरदीडीह, उरतुम, लगरा, खैरा, फरहदा, दोमुहानी, कर्रा, लिमतरा, दर्रीघाट एवं लावर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण : ग्राम लावर, पोढ़ी, मगरउछला, बोहारडीह, लिमतरी, नरगौड़ी, कडार, सेवार, भटगांव, परसदा, मुढ़ीपार, रहंगी, खम्हारडीह एवं हरदी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम : ग्राम हरदी, पेण्ड्रीडीह, बोडसरा, अमसेना, बेलमुण्डी, कोपरा, बहतराई, दबेना एवं काठाकोनी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल – कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, नया कम्पोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

No. 1513/ई.एल.यू./न.ग्रा.नि./2015.— The existing Land use map and register for the Bilaspur Planning Area of 62 villages have been additionally included for which the existing land use maps and register was published under Sub section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 7737 date 19-11-2014 of Bilaspur.

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the existing Land use maps and registers of Bilaspur Planning Area of 62 villages have been additionally included for which the existing land use maps and register so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning, under the provision of sub-section (3) of section 15 of the said adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and register have been duly prepared and adopted on dt.

SCHEDULE

Bilaspur Planning Area Limits

NORTH : Village Kathakoni, Binouri, Pendari, Parsada, Jonki, Nirtu, Sendari, Kachhar, Ramtala, Semartal, Baima and upto the North limit of Hardidih.

EAST : Village Hardidihh, Urtum, Lagra, Khaira, Farhada, Do-Mohani, Karra, Limtara, Darrighat and upto the East limit of Lawar,

SOUTH : Village Lawar, Podi, Magaruchhalla, Bohardihh, Limtari, Nargaurhi, Kadar, Sewar, Bhatgao, Parasada, Mudpar, Ragangi, Khamhardihh and upto the North limit of Hardi.

WEST : Village Hardi, Pendridih, Bodhsara, Amsena, Belmundi, Kopra, Bahatrai, Dabena and upto the West limit of Kathakoni.

The said adopted maps and registers shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site — Office of the Joint Director Town & Country Planning New Composite Building, Collectorate Premises Bilaspur.

एम. के. गुप्ता,
संयुक्त संचालक.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, इंद्रावती भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़

नया रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2015

प्रारूप विकास योजना महासमुंद के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक/1179/DP-86 (ii)/नग्रानि./2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि महासमुन्द निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार प्रकाशित किया गया है और उसकी प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् महासमुन्द, जिलाध्यक्ष जिला-महासमुन्द तथा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश महासमुन्द के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दिनांक 26 मार्च 2015 से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार, कचहरी चौक के पास महासमुन्द में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, प्रारूप विकास योजना की प्रति प्रदर्शनी स्थल पर शुल्क अदायगी करने पर प्रदाय होगी.

उक्त प्रारूप योजना की विशिष्टियां नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है.

उक्त प्रारूप विकास योजना के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे उक्त स्थलों पर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि समाप्त होने के पूर्व भेजा जाना चाहिए.

अनुसूची

(क) भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र तथा उसके बारे में वृतात्मक रिपोर्ट.

(ख) प्रारूप योजना के उपबन्धों को स्पष्टीकरण करने वाली मानचित्रों तथा चार्टों द्वारा प्रमाणित की गई वृतात्मक रिपोर्ट.

(ग) प्रारूप विकास योजना की क्रमावस्था को उपदर्शित करने वाला तथा ऐसी रीति कथित करने वाला टिप्पण जिसमें विकास करने हेतु अनुज्ञा अभिप्राप्य की जाना है.

(घ) लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन के खर्चों तथा योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वलित कार्यों के खर्चे का समुचित प्राक्कलन उपदर्शित करने वाला टिप्पण.

स्थान : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार

No. 1179/DP-86 (ii)/नग्रानि./2015.—Notice is hereby given that the draft of development plan for Mahasamund Planning Area has been published in accordance with the provision of sub-section (1) of section 18 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) a copy thereof is available for inspection at the office of the Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad Mahasamund, the Office of the Collector, Mahasamund and Assistant Director, Town & Country Planning, Mahasamund during office hours except holidays. An exhibition is also organized from 26 March 2015 at Dr. Shyama Prasad Mukherjee Town Hall, Near Kachhari Chowk Mahasamund. Copies of the draft plan (Report) will be supplied on payment at the venue of exhibition.

The particulars of the said draft plan have been specified in the schedule below—

If there be any objection of suggestion with respect to the said draft plan, it should be sent to the Director, Town and Country Planning Chhattisgarh Naya Raipur before the expiry of Thirty days from the date of publication of this Notice in the "Chhattisgarh Gazette".

SCHEDULE

(a) Existing land use map and narrative report.

(b) Narrative report explaining the provision of the draft development plan supported by maps and charts.

(c) Note indicating phasing of implementation of the draft plan and stating the manner in which permission to development to be obtained.

(d) Note indicating an appropriate estimate of the cost of land acquistion for public purposes, and the cost of works involved in the implementation plan.

Place : Dr. Shyama Prasad Mukherjee Town Hall.

एस. एस. बजाज,
आयुक्त सह-संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th February 2015

No. 131/Confdl./2015/II-3-1/2015.—The following Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate as specified in Column No. (2) of the table below is, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is appointed as Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Bhanu Pratap Singh Tyagi, Civil Judge Class-I & A.C.J.M.	Khairagarh	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 20th February 2015

No. 132/Confdl./2015/II-3-1/2015.—The following Members of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are appointed as Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Atul Kumar Shrivastava, Civil Judge Class-I.	Katghora	Surajpur	Surajpur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
2.	Shri Lavakesh Pratap Singh Baghel, Law Officer, Chhattisgarh Human Rights Commission.	Raipur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
3.	Shri Anand Prakash Wariyal II Civil Judge Class-I.	Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
4.	Shri Chandra Kumar Kashyap, V Civil Judge Class-I & Special Railway Magistrate.	Bilaspur	Dhamtari	Dhamtari	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
5.	Shri Shrikant Shrivas, Secratary, District Legal Services Authority.	Korba	Gariaband	Raipur	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Shri Vivek Kumar Verma, Secretary, District Legal Services Authority.	Baikunthpur	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
7.	Shri Vijay Kumar Sahu, Civil Judge Class-I.	Gharghora	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
8.	Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, Civil Judge Class-I.	Kasdol	Sukma	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
9.	Smt. Pooja Jaiswal, III Civil Judge Class-I.	Bilaspur	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
10.	Shri Madhusudhan Chandrakar, Civil Judge Class-I.	Patan	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.
11.	Shri Kamlesh Jagdalla, Civil Judge Class-I.	Dongargarh	Khairagarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate.

Note :— The above officers shall not be entitled to the pay-scale mentioned in Rule 3 (2) (b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 unless they complete five years of continuous service as Civil Judge Class-I/Senior Civil Judge.

By order of the High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 24th March 2015

No. 407/HCLSC/2015 .—In exerice of powers conferred under Sub-section 2 of Section 8-A of the Legal Services Authority Act, 1987, Hon,ble the Acting Chief Justice has been pleased to nominate Hon’ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, as Chairman of the Chhattisgarh High Court Legal Services Committee, Bilaspur, with immediate effect from 24th March, 2015.

By order of Hon’ble the Acting Chief Justice,
RAMA SHANKAR PRASAD, Secretary.